

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बेंच से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं के मूल्यांकन हेतु प्रारूप (F-1) में निम्न तीन अतिरिक्त सूचनाओं को समाविष्ट किया गया है :-

1. Date of submission of case for filling by Deptt. to AG/AAG.
2. Date of filling case in court by AG/AAG.
3. Whether application under sec. 5 of limitation Act filed.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त रूप से उल्लिखित तीनों बिंदुओं की सूचना का प्रारूप (F-1) में सात दिवस में इन्द्राज करवाने का श्रम करें। उक्त सूचना दिसम्बर 2013 से आदिनांक तक अंकित की जानी है। इससे सम्बन्धित रिपोर्ट को लाइट्स सॉफ्टवेयर में Detail Reports->AG/AAG performance लिंक पर देखा जा सकता है।

शासन संयुक्त सचिव
OK

अति०मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव

अ०शा०टीप.एफ.डी.एस./पी.एस.जे./कम्प्युटर/3/06
जयपुर, दिनांक:- 14-6-16

प्रतिलिपि: प्रमुख शासन सचिव (विधि) को सूचनार्थ।

शासन संयुक्त सचिव
OK
OK